गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2023 को दोपहर 12:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
15.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
16.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
17.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर विश्वविद्यालय के विकास में भागीदार बनने प्रेरित किया तथा विश्वविद्यालय के आगामी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.03.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.03.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.03.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.03.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 03 स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्रों को पंचम सेमेस्टर तक बिना उत्तीर्ण किये हुये भी षष्ठम् सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर विचार के संबंध में विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण अधिष्ठाताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। अधिष्ठातागण प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए यथोचित समाधान/प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि अधिष्ठातागणों से प्राप्त उपरोक्तानुसार अनुशंसाओं को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 04 **आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की बैठक दिनांक 26.02.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की बैठक दिनांक 26.02.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.1 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय में 1000 कम्प्यूटर का केन्द्र संस्थापित किये जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से HEFA (window-III) के अन्तर्गत राशि रूपये 20 करोड़ स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई। स्थायी समिति ने सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

अ.अ.वि.क्र.2 विश्वविद्यालय द्वारा विभागों में आयोजित संगोष्ठी, सेमिनार आदि हेतु दिये जाने वाले Seed money (बीज धन) को विभाग के शिक्षकों को दी गई Seed money (बीज धन) के रूप में शामिल किये जाने पर विचार करते हुए इसे शिक्षकों को दी गई Seed money (बीज धन) मानते हुए स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

अ.अ.वि.क्र.3 शारीरिक शिक्षण विभाग द्वारा प्रोजेक्ट मद में अधोसंरचना विकास हेतु व्यय की गई धनराशि को इस विभाग के शिक्षकों को Seed money (बीज धन) के रूप में दी गई राशि स्वीकार किये जाने पर विचार करते हुए इसे Seed money (बीज धन) स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

अ.अ.वि.क्र.4 विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षकों के द्वारा संगोष्ठी, सेमीनार, वर्कशॉप आदि में पंजीयन राशि जिसका भुगतान उनके द्वारा किया गया उसको आंशिक रूप से विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित शिक्षक को भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर विचार करते हुए अधिकतम 1000/- की राशि विश्वविद्यालय से भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

21/03/2023 — 21/03/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव — **कुलपति/अध्यक्ष**